

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)उ0प्र0,
डिग्री अर्थ-1(आयोग)
प्रयागराज।

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक
महात्मा गाँधी पी.जी. कालेज, गोरखपुर

पत्रांक : डिग्री अर्थ-1(आयोग)/ 273-278 /2022-23

दिनांक 14.07.2022

विषय :- विज्ञापन संख्या-50 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर MATH के पद के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय ,

कृपया अपने महाविद्यालय **महात्मा गाँधी पी.जी. कालेज, गोरखपुर** के असिस्टेंट प्रोफेसर **MATH** वेतनक्रम 15600-39100 ग्रेड पे 6000 के सापेक्ष 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल- 10 रु 57700/- में रिक्त पद का संदर्भ लें जो डॉ० **डा० लाल जी श्रीवास्तव** की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त रूप में उपलब्ध हैं।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र **संख्या-उ०शि० आयोग/उ०शि०आयोग/सी-873/75/510/22-23** दिनांक **27/06/2022** द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर **MATH** के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अध्याचन हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

नाम **BRIJESH KUMAR GUPTA**

पता-**BRIJESH KUMAR GUPTA S/O MATHURA GUPTA VILL.- FURSATPUR POST.- MAHUAWA KARKHANA KUSHINAGAR UTTAR PRADESH 274402**

श्रेणी -**OBC**,चयन श्रेणी -**OBC**
मेरिट सूची में क्रमांक-**9**

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, से विलम्बतम 30 दिन क भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्थान्कित करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाय।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को अनिवार्यतः संसूचित करेगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम- 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

6- यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निर्धारित अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा० न्यायालय का कोई स्थगन अंतरिम/अन्तिम बाध्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

7- संस्तुत अभ्यर्थी की आसन-व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बिना अपरिहार्य कारणों के अपरिवर्तनीय होगी।

8- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात्, प्रभार प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें।

9- प्रबन्धतंत्र अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की आसन-व्यवस्था करते समय नियुक्ति-पत्र में शासनादेश संख्या- 22/5/1982-का-2 दिनांक 27 जुलाई 1994 में दी गयी निम्न व्यवस्था का नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय

10- उर्दू, प्राचीन इतिहास, मानवशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, भौतिक विज्ञान, संगीत सितार, भूमि संरक्षण, गृह विज्ञान एवं गणित विषय की आसन-व्यवस्था मा0 उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील संख्या- 945/2020 एवं वाद ए संख्या- 9754/2021, 2344/2022 एवं 3541/2022 व इससे संबंधित अन्य रिट याचिकाओं में पारित अन्तिम आदेश के अधीन रहेगी।

“ यह नियुक्ति अन्तिम है तथा जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो के सम्बन्ध में दावा झूठा है तो बिना किसी कारण बताये तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है के बारे में पूर्वाग्रह के बिना सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी। ”

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

DIGITAL SIGNED BY
CN=AMIT BHARADWAJ, SERIALNUMBER=3c84754cf4e27e4b057fdb23035486d20060dccc39ddb8ffee67fb4b2c0db01d, S=Uttar Pradesh, PostalCode=244001

भवदीय,

**डा0 अमित
भारद्वाज
शिक्षा निदेशक
(उ0शि0)
उ0प्र0,
प्रयागराज ।**

पृष्ठांकन संख्या : डिग्री अर्थ-1 (आयोग)/273-278 / उसी तिथि को।

उक्त संस्तुति पत्र की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग- 05, लखनऊ ।
2. प्राचार्य, **महात्मा गाँधी पी.जी. कालेज, गोरखपुर** ।
3. संबंधित अभ्यर्थी को इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि वे कृपया :-
(क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरंत सूचित करें।
(ख) महाविद्यालय के प्रबंधनपत्र से संपर्क कर शीघ्रतिशीघ्र अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को भी दें ।
(ग) प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप उक्त नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं हैं और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन-व्यवस्था पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा ।
4. - सम्बंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी। **GORAKHPUR**
5. - सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

भवदीय,

**डा0 (राजीव
पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक
(उच्च शिक्षा)
कृते शिक्षा
निदेशक
(उ0शि0)उ0प्र0,
प्रयागराज ।**

DIGITAL SIGNED BY
CN=Rajiv Pandey, SERIALNUMBER=786c5db24d427ff9ccf488751af94804ec825d0227ec0425093d0074e088ba5e,
OID.2.5.4.45=#03410065383831323363363566313334636238356235396139373730656461376338383864666338306432666136653430306663653962313631336138643165656432,
S=Uttar Pradesh, PostalCode=250001, Phone=765df81d8907b8221812d5ea44ded7ddaf3b6179a118cf92dab9ae08a040be20, OID.2.5.4.65=b1777dd728514edfa160273ca33f4cc6,
O=Personal, C=IN

नोट- यह संस्तुति-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से युक्त व मान्य है ।